न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 39/2020

वादी:–

कैलाशपुरी पुत्र छोगपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज तहसील सिवाना जिला बालोतरा .

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना
2. छोगपुरी पुत्र सुरतपुरी जाति स्वामी निवासी थानमाता हिंगलाज
3. प्रेमपुरी पुत्र सुरतपुरी जाति स्वामी निवासी थानमाता हिंगलाज
4. महेन्द्रपुरी पुत्र प्रेमपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण अनुपस्थित
3.

:: निर्णय::

दिनांकः– 05-05-2025

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत पेश किया गया, वादपत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी की ग्राम थानमाता हिंगलाज तहसील सिवाना में खसरा संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 33 व 34 कुल रकबा 7.8994 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें वादी 1/4 हिस्सा वादी को बाल्यकाल में चम्पापुरी के नाम से जाना जाता था वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड,मतदाता ,पहचान पत्र, आधार कार्ड में वादी का नाम कैलाशपुरी अंकित है परन्तु वादी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चम्पापुरी अंकित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम अंकित होने से वादी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः वादी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

वादी ने अपने वाद के पत्र के समर्थन में पी.डब्लयू 1 वादी स्वंय के बयान कलमबद्ध करवाये तथा जमाबंदी प्रदर्श 1, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श 2 ए,आधार कार्ड प्रदर्श 3 ए,आयकर विभाग का पेनकार्ड प्रर्दश 4 ए, भामाशाह कार्ड प्रदर्श 5 ए, ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदर्श 6 ए, राशनकार्ड प्रदर्श 7 ए, ग्राम पंचायत गुडानाल का प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 ए, एस. बी. आई. बैंक की पासबुक प्रदर्श 9 ए तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट प्रदर्श 10 व 11 प्रदर्शित करवाये ।

वादी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादी वकील ने बहस में वाद पत्र के पद को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी खातेदारी की भूमि ग्राम थानमाता हिंगलाज तहसील सिवाना में खसरा संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 33 व 34 कुल रकबा 7.8994 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें वादी 1/4 हिस्सा वादी को बाल्यकाल में चम्पापुरी के नाम से जाना जाता था वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड,मतदाता ,पहचान पत्र, आधार कार्ड में वादी का नाम कैलाशपुरी अंकित है परन्तु वादग्रस्त राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चम्पापुरी अंकित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का अशुद्ध नाम अंकित होने से वादी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः वादी ने राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

हमने वादी वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गम्भीरता से अवलोकन व मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श 2 ए,आधार कार्ड प्रदर्श 3 ए,आयकर विभाग का पेनकार्ड प्रर्दश 4 ए, भामाशाह कार्ड प्रदर्श 5 ए, ड्राईविंग लाईसेन्स प्रदर्श 6 ए, राशनकार्ड प्रदर्श 7 ए, ग्राम पंचायत गुडानाल का प्रमाण

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

पत्र प्रदर्श 8 ए, एस. बी. आई. बैंक की पासबुक प्रदर्श 9 ए तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट प्रदर्श 10 व 11 से यह तस्दीक होती है कि वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज में वादी का नाम कैलाशपुरी अंकित है, प्रदर्श व 8 ए व प्रदर्श 10 व 11 से यह तस्दीक होती है कि वादी कैलाशपुरी व चम्पापुरी दोनो एक ही व्यक्ति है सह खातेदारो का सम्मन तामिल होने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होना वादी का वाद पत्र को स्वीकार किया जाने की मौन स्वीकृति प्रतीत होती है। यह न्यायालय वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम चम्पापुरी के स्थान पर कैलाशपुरी दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत समझती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम थान माता हिंगलाज तहसील सिवाना के खसरा संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 33 व 34 कुल रकबा 7.8994 हैक्टेयर में वादी का नाम चम्पापुरी के स्थान कैलाशपुरी घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 39/2020

वादी :–

कैलाशपुरी पुत्र छोगपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज तहसील सिवाना जिला बालोतरा .

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. छोगपुरी पुत्र सुरतपुरी जाति स्वामी निवासी थानमाता हिंगलाज
3. प्रेमपुरी पुत्र सुरतपुरी जाति स्वामी निवासी थानमाता हिंगलाज
4. महेन्द्रपुरी पुत्र प्रेमपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांकः – 05.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई पेश होकर डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम थान माता हिंगलाज तहसील सिवाना के खसरा संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 33 व 34 कुल रकबा 7.8994 हैक्टेयर में वादी का नाम चम्पापुरी के स्थान कैलाशपुरी घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:36:44 IST
Reason: SelfAttested